

बिहार सरकार
उद्योग विभाग
उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना।
कोटेशन आमंत्रण सूचना

उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पाटलिपुत्रा, पटना जो सोसाइटी एक्ट के तहत उद्योग विभाग, बिहार सरकार के नियंत्रणाधीन संस्थान है के लिए रजिस्टर्ड Chartered Accountant Firm से निम्न शर्तों के आधार पर दिनांक 30.05.2020 के अपू 2.00 बजे तक कोटेशन आमंत्रित किया जाता है जिसे उसी दिन 3.00 बजे अपू सभी कोटेशन दाताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निदेशक, उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना के कार्यालय कक्ष में खोली जाएगी। शर्तें निम्नवत हैं:-

कोटेशन की शर्तें

- (1) Chartered Accountant Firm, ICAI से अनुज्ञप्ति प्राप्त होना चाहिए।
- (2) फर्म का कम से कम 03 वर्ष बिहार सरकार के विभिन्न विभागों/निकायों में कार्यों से संबंधित अनुभव होना चाहिए।
- (3) फर्म का GST निबंधन, PAN CARD, एवं अद्यतन आयकर Return कोटेशन के साथ संलग्न करना है।
- (4) फर्म का निबंधित कार्यालय पटना में होना अनिवार्य है।
- (5) तकनीकी एवं वित्तीय कोटेशन को अलग-अलग सीलबंद लिफाफे को एक बड़े लिफाफा में बंद कर निर्धारित समय तक समर्पित करना होगा।
- (6) कोटेशन को कभी भी बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी के पास होगा।

६०१

निदेशक

उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान,
पटना।

ज्ञापांक.....815...../ पटना, दिनांक 16.5.20
प्रतिलिपि:- उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना Website पर डाले एवं सूचना पट पर चिपकाने हेतु।

Bannik
निदेशक 16/5/2020

उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान,
पटना।